प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ....47/22.......... दिनांक..........16/2/22..........
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं **7 भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018......**
   (2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....
3. (क) घटना का दिन :– 14.02.2022
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 11.02.2022 समय **:– 04.05 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....342.......... समय..........5:50 P.M...........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **टाईपशुदा**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी **– पश्चिम एवं 1.5 किलोमीटर**
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख) पताः– **कार्यालय सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी/आरोपी का प्रोफेसर कॉलोनी, देवपुरा, बूंदी में स्थित किराये का मकान**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– **श्री पुरूषोतम शर्मा, जाति ब्राहमण**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री रामप्रसाद शर्मा**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **30 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – **मै0 शक्ति पम्प इण्डिया लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि**
   (छ) पता :– **ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   श्री **रामप्रसाद पुत्र श्री मोरपाल जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी बिशनपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी हाल निवासी शिवराज सिंह राजपूत के किराये का मकान प्रोफेसर कॉलोनी देवपुरा बूंदी हाल सहायक निदेशक, उद्यान, बूंदी।**
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **2,50,000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 11.02.2022 को श्री पुरूषोतम शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चेता तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी उपस्थित एसीबी चौकी बूंदी आया तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि – मैं ग्राम चेता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी का रहने वाला हूँ। मै0 शक्ति पम्प इण्डिया लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ तथा बूंदी जिले का कार्य देखता हूँ। कम्पनी का कार्य प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अन्तर्गत कृषकों को कृषि हेतु सोलर कनेक्शन देना है। एक सोलर कनेक्शन की एवज में कम्पनी मुझे 18,000 रू मानदेय देती है। मैंने सन् 2020 व 2021 में अब तक करीबन 217 सोलर कनेक्शन करवाये है। कम्पनी मुझे लेबर व फिटिंग की एवज में प्रति सोलर कनेक्शन 18,000 रू मानदेय देती है। प्रति सोलर कनेक्शन मिलने वाली राशि श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा सत्यापन करने के बाद मुझे मिलती है।

श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक, उद्यान बूंदी द्वारा मेरे से प्रति सोलर कनेक्शन के 18,000 रू में से 4,000 रू प्रति फाईल रिश्वत की मांग करता है तथा रिश्वत नही देने पर परेशान करता है तथा नया कार्य देने से मना कर रहा है तथा कहता कि पुराना हिसाब कर दे। मेरे पर दबाव बनाकर प्रति सोलर कनेक्शन के 4,000 रू प्रति फाईल की दर से रिश्वत की मांग कर रहा है, रिश्वत देने पर ही आगे नया काम देने की बात कह रहा है। श्री रामप्रसाद मीणा के पास जब भी जाता हूँ तो पुराना हिसाब करने के नाम से रिश्वत की मांग करता है। मेरे पास एक साथ इतनी राशि देने के लिये नकदी नही है।

मैं मेरे वैध व परिश्रम की कमाई से अवैध रिश्वत नही देना चाहता हूँ। मैं श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक से मेरी कोई पुरानी रंजिश व नाराजगी नही है तथा कोई रूपयों का लेन–देन बकाया नही है। कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश है।

परिवादी ने मजीद दरयाफ्त पर बताया कि मैंने अभी तक 217 सोलर कनेक्शन किये है उनका कुछ भुगतान हो चुका है तथा कुछ शेष है। श्री रामप्रसाद मीणा मेरे द्वारा पूर्व में किये गये सोलर कनेक्शनों की एवज में रिश्वत के रूप में हिसाब करने की कहता है तथा रिश्वत नही देने पर मुझे नया कार्य नही देने की धमकी देता है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का होना पाया गया, जिसका सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् उप अधीक्षक ने परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा को सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु व बंद करने की विधि समझाकर, सुपुर्द कर समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर दोनो के मध्य होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 को परिवादी पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादी के साथ स्वयं की कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

समय 5.30 पी.एम पर परिवादी श्री पुरूषोतम शर्मा व श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 उपस्थित चौकी आये। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं, शिवनारायण दोनों मेरी निजी कार से खोजा गेट चौराहा स्थित कार्यालय उद्यान विभाग बूंदी गये। वहॉ पर श्री शिवनारायण सोनी को कार्यालय के बाहर छोडकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु किया और उद्यान कार्यालय में श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक निदेशक से वार्ता करने के लिये गया तो रामप्रसाद मीणा अपने कार्यालय में मौजूद मिला, जिससे मैंने बातचीत की तो बताया कि प्रति सोलर कनेक्शन के 4,000 रू बतौर कमीशन रिश्वत का हिसाब कर दे और नया कार्य दे देंगें। बातचीत के दौरान श्री रामप्रसाद मीणा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिश्वत के तौर पर रूपये देकर पुराना हिसाब करो और नया काम लो। उक्त बातों को मैंने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा बातचीत के बाद कार्यालय से बाहर आकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया तथा श्री शिवनारायण सोनी को साथ लेकर चौकी पर आया हूँ। श्री शिवनारायण सोनी हैड कानि. 30 से पूछने पर परिवादी के बताये कथनों की पुष्टि की। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा प्रति सोलर कनेक्शन रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी रूपये नही है तथा श्री रामप्रसाद मीणा मेरे से सोमवार को रिश्वत के रूपये लेगा। मैं 1–2 दिन में जितने रूपयों की व्यवस्था होती है कर लेता हूँ। इस पर परिवादी को दिनांक 13.02.2022 को समय 04.00 पी.एम. पर अग्रिम कार्यवाही के क्रम में चौकी पर उपस्थित होने की समझाइश कर रूखस्त किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने के क्रम में मन् उप अधीक्षक ने कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम बूंदी के नाम एक तहरीर जारी कर दो स्वतंत्र गवाह दिनांक 13.02.2022 समय 04.00 पी.एम. पर चौकी पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाने के लिये श्री चन्द्रेश कानि. 279 को रवाना किया गया।

श्री चन्द्रेश कानि. 279 चौकी हाजा आया और कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम बूंदी का पत्रांक 2992 दिनांक 11.02.2022 पेश किया। पत्र का अवलोंकन किया तो स्वतंत्र गवाह श्री नीरज कुमार सिंह क0अभि0 व श्री हरीश गुप्ता क0अभि0 को पाबन्द किया गया है। दिनांक 13.02.2022 को परिवादी व गवाहान उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 13.02.2022 को समय 04.10 पी.एम. पर परिवादी पुरूषोतम शर्मा व स्वतंत्र गवाहान उपस्थित चौकी आये। स्वतंत्र गवाहान से नाम पद पूछा गया तो एक ने अपना नाम हरीश गुप्ता पुत्र श्री प्रेम शंकर गुप्ता जाति महाजन उम्र 36 साल निवासी म.नं. 17 दानबाडी जवाहर नगर कोटा शहर हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता–अ, प्रथम, जेवीवीएनएल बूंदी एवं दूसरे ने अपना नाम नीरज कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी म.नं. 67 गेट नं. 2 रजत गृह कॉलोनी, नैंनवा रोड, बूंदी हाल कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जेवीवीएनएल दबलाना, जिला बूंदी होना बताया। स्वतंत्र गवाहान का परिवादी पुरूषोतम शर्मा से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 11.02.2022 को पेश